न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 141/2014

कालूराम पुत्र मोमन राम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
––प्रार्थी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी चक 13 एस पी डी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार सूरतगढ़
3. तहसीलदार अनूपगढ़
4. तहसीलदार पीलीबंगा
5. उप पंजीयक सूरतगढ़
6. उप पंजीयक अनूपगढ़
7. उप पंजीयक पीलीबंगा

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व अधिनियम 1970

उपस्थिति:–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी 1
3. पैरोकार राज, सूरतगढ

:: निर्णय :: दिनांक– 02.02.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी कालूराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 13 जैड डब्ल्यू डी तहसील पीलीबंगा पत्थर नम्बर 76/370 के किला नम्बर 18 से 23, पत्थर नम्बर 76/371 के किला नम्बर 1 से 14 की कुल 25.12 बीघा भूमि 1955 से पूर्व की आवंटन शुदा है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा 9.16 बीघा कमाण्ड व 3 बीघा अनकमाण्ड हिस्सा में आती है। चक 14 जैड डब्ल्यू डी के पत्थर नम्बर 75/371 के किला नम्बर 4 से 7, 14 से 17, 24 व 25 कुल 10 बीघा कमाण्ड में से 1/2 हिस्सा अर्थात 5 बीघा भूमि अप्रार्थी नत्थुराम के नाम से आवंटित है। चक 15 एस पी डी तहसील पीलीबंगा में पत्थर नम्बर 166/21 किला नम्बर 1 से 20, 23 से 25 कुल 23 बीघा में 153 हिस्सा यानि 7.13 बीघा भूमि अपने परिवार के सदस्य जगमाल पुत्र नत्थुराम, 153 हिस्सा तीजा जोजा नत्थुराम अर्थात 7.13 बीघा भूमि खरीद शुदा है। इसी प्रकार रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नम्बर 166 में 45.17 बीघा, खसरा नम्बर 171/1 में 9 बीघा कुल 54.17 बीघा भूमि खातेदारी थी। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम थी जिसका तबादला सन् 1983 में तहसील अनूपगढ़ में चक 5 एन डी पत्थर नम्बर 101/29 किला नम्बर 1 से 5, 6 से 25, चक 14 एल एम पत्थर नम्बर 1/40 किला नम्बर 17 से 25 की 9 बीघा, चक 2 एन एन पत्थर नम्बर 23/54 के किला नम्बर 3 से 7, 14 ता 16 कुल 8 बीघा कुल 42 बीघा तबादला में स्वीकृत है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा अर्थात 21 बीघा भूमि आती है। शेष बची हुई भूमि सरदारपुरा खर्था के खसरा नम्बर 177 में 0.910 है. बारानी, खसरा नम्बर 171 में 2.277 है. बारानी जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा 6.5 बीघा बारानी भूमि हिस्सा में आती है। इस प्रकार अप्राथी संख्या 1 के नाम खरीद शुदा एवं आवंटित भूमि कुल 51 बीघा 2 बिस्वा कमाण्ड व 9. 5 बीघा अनकमाण्ड खातेदारी भूमि है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी पात्रता से अधिक भूमि आवंटित करवाई है। इसके अलावा सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 1 ने सरदारपुरा खर्था के खसरा नम्बर 171/2, 171/5, 184/4, 184/5 में 0.034 हैक्टेयर भूमि आरजी काश्त 1955 के बाद आवंटन करवा रखी है जो घघर बांध में आवाप्त है। पत्रावली संख्या 343/67 निर्णय दिनांक 13.10.1983 न्यायालय ए सी सी सूरतगढ़ ने नत्थुराम के नाम से 4.18 बीघा भूमि का तबादला भी तहसील अनूपगढ़ के चक 2 एन एम पत्थर नम्बर 23/54 किला नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

17, 18, 23, 24, 25 कुल 5 बीघा तबादला में दी जा चुकी है। उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कोई भी सदभाविक काश्तकार 25 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन करवाने का पात्र है। अप्रार्थी संख्या 1 ने करीब 56 बीघा 2 बिस्वा से अधिक भूमि कमाण्ड व 9.5 बीघा भूमि अनकमाण्ड तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाई है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नम्बर 171/2 में 1.328 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 171/5 में 1.430 है., खसरा नम्बर 184/4 में 0.544 है., खसरा नम्बर 184/5 में 2.732 है. कुल 6.034 हैक्टेयर भूमि आरजी काश्त 1955 के बाद की आवंटन करवा रखी है। उक्त भूमि घघर फल्ड में भी अवाप्त जो खारिज की जावे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 15.12.2014 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड मंगवाने के आदेश दिये गये एवं अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश दिये गये।

3. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि चक 13 जैड डब्ल्यू डी की भूमि अप्रार्थी को आवंटित नहीं हुई है। चक 13 जैड डब्ल्यू डी की 25.12 बीघा भूमि व चक 14 जैड डब्ल्यू डी की 10 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पिता लूणाराम को पूर्व 55 की गैर खातेदारी भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित नहीं है। प्रार्थी के कथनानुसार भी यह रकबा प्रार्थी के पिता के फौत हो जाने के पश्चात् विरास्तन अप्रार्थी संख्या 1 व भाई कालूराम को 1/2–1/2 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 का पिता 1969 में फौत हो चुका है। उसके पश्चात् ही रकबा अप्रार्थी को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सन् 1970 से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 के पास कोई रकबा नहीं था। उक्त रकबा के विरास्तन प्राप्त होने के पश्चात् 27.02.1986 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। उक्त रकबा विरास्तन प्राप्त होने से उक्त रकबा में अप्रार्थी संख्या 1 के दो पुत्रों को भी जन्म जात हक मिलेगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 का जो रकबा 1955 से पहले विरास्तन प्राप्त हुआ है अप्रार्थी संख्या 1 के नाम उक्त रकबा में अप्रार्थी संख्या 1 का विरास्तन 1/3–1/3 हिस्सा ही बनता है। चक 13 जैड डब्ल्यू डी में 10 बीघा अप्रार्थी को आवंटित होना स्वीकार नहीं है। यह रकबा अप्रार्थी के पिता को पूर्व 55 का रकबा था जिसमें से 1/2 हिस्सा विरास्तन अप्रार्थी को प्राप्त हुआ जो पिता की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुआ एवं उसमें अप्रार्थी के दो पुत्रों का भी जन्म से हक व हिस्सा है। इसलिए अप्रार्थी को प्राप्त हुए 5 बीघा रकबा में भी अप्रार्थी का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। इस प्रकार चक 13 जैड डब्ल्यू डी के 17.16 बीघा रकबा में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा ही बनता है। इस रकबा में भी अप्रार्थी के पुत्रों का 1/3–1/3 हिस्सा हक बनता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में अंकित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र जगमाल व जगमाल के नाम से है जिसमें अप्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी के नाम के रकबा में भी अप्रार्थीगण का कोई हक नहीं है। यह रकबा भी अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी को उसके पिता से प्राप्त हुआ है। प्रार्थी स्वयं स्वीकार करता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम से रोही सरदारपुरा खर्था में 54.17 बीघा खातेदारी थी जिसका तबादला 1983 में प्राप्त हुआ। इसमें प्रार्थी का हक भी माना जाता है तो पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त हुआ है। विरास्तन में रकबा प्राप्त होने वाले रकबा में अप्रार्थी स्वयं का 1/3 हिस्सा ही बनता है जो आज भी गैर खातेदारी है। जब तक उक्त रकबा की खातेदारी नहीं होती तो अप्रार्थी को आवंटित ही नहीं हो सकती। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 51.2 बीघा व 9.2 बीघा अनकमाण्ड भूमि होना भी स्वीकार नहीं है क्योंकि जो रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुआ है उसमें अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्रों का भी 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। प्रार्थी ने किसी भी तथ्य को छिपाकर आवंटन नहीं करवाया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का हवाला देते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया है। अतः निवेदन है कि शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिकायत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी द्वारा जो तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया है उसे निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं वे सही नहीं है। प्रार्थी ने जो भूमि अप्रार्थी को प्राप्त होना बताया है उसकी गणना सही नहीं की है, क्योंकि अप्रार्थी को अपने पिता से जो भूमि मिलेगी उसमें अप्रार्थी संख्या 1 के दो पुत्रों का भी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण भी हक व अधिकार बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने किसी भी तथ्य को छिपाकर आवंटन नहीं करवाया है। तहसीलदार पीलीबंगा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक टी.आर.ए./2019/533 दिनांक 20.08.19 प्रस्तुत की है जिसमें समस्त भूमि का हवाला दिया गया है। इसी प्रकार तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक टी आर ए/19/1259 दिनांक 16.10.2019 जो अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है जिसमें यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 171/2, 171/5, 184/4, 184/5 की 6.034 हैक्टेयर भूमि पूर्व में नत्थू पुत्र लूणा जाति जाट के नाम आ. का. बाद दर्ज थी जो तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 30.01.19 की पालना में नामान्तरण संख्या 438 दिनांक 25.02.2019 को खातेदारी दर्ज हुई है। तहसीलदार सूरतगढ़ व तहसीलदार पीलीबंगा ने अपने प्रतिवेदन में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थी द्वारा किसी तथ्य को छिपाकर आवंटन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

कराया गया हो, न ही तहसीलदार द्वारा प्रार्थी की शिकायत की पुष्टि की है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे किसी भी प्रकार से साबित नहीं कराया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का हवाला देते हुए गणना कर अनुतोष में रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा नम्बर 171/2, 171/5, 184/4, 184/5 की 6.034 हैक्टेयर भूमि खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रत्येक बिन्दु का विस्तार से विवेचन करते हुए भूमि की गणना बताई है एवं पिता से प्राप्त भूमि में अपना हिस्सा व पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए किसी भी तथ्य को नहीं छुपाने का कथन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो जवाब पेश किया है उसके खण्डन स्वरूप प्रार्थी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। शिकायत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार पीलीबंगा व तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट मांगी गई थी। दोनों ही तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में यह कथन नहीं किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी तथ्य को छिपाकर आवंटन कराया गया हो। वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आर बी जे 1999 पेज 412, डी एन जे 1999 पेज 509, आर बी जे 2001 पेज 125, आर आर टी 2013 पेज 1418, आर आर डी 1995 पेज 68 की नजीरें पेश की जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इतने पुराने आवंटन को शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् खारिज नहीं किया जा सकता। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार तहसीलदार द्वारा सभी बिन्दुओं की जांच करने के पश्चात् ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत आधारहीन प्रतीत होती है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.12.2014 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला डोलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner